कार्यालयः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता।

निविदा/उपापन

क्रमांक. 32

दिनांक 05.10.2019

माननीय संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक प.10(21)न्याय/2013 जयपुर दिनांक 18.09.2019 से वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध बजट प्रावधान से नवीन आईटम क्रय हेतु इस अधिकरण को एक एसी व दो कूलर्स के लिए क्रमशः 40,000/–रूपये व 16,000/–रूपये का बजट आवंटित किया गया है। अतः अधिकृत फर्मो से इस अधिकरण के लिए आवंटित बजट राशि एक एसी के लिए 40,000/–रूपये व दो कूलर्स के लिए 16,000/–रूपये (प्रति कूलर 8,000/–रूपये) क्रय करने हेतु निविदा/उपापन आंमत्रित की जाती है। निविदा/उपापन में एसी व कूलर की निर्माता कम्पनी व मॉडल का सम्पूर्ण विवरण अंकित करना होगा साथ ही एसी की निविदा/उपापन में इन्स्टॉलेशन भी सम्मिलित होगा जो अलग से अंकित किया जावेंगा। निविदाये/उपापन के लिए आपूर्ति की वस्तु के कोटेशन दिनांक 04.11.2019 तक इस कार्यालय (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता, जिला नागौर राजस्थान) को दोपहर 2 बजे तक पहुंच जानी चाहिये, जो दिनांक 06.11.2019 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में 4.30 पीएम पर निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेंगी। इच्छुक निविदादाता को आपूर्ति वस्तु के मूल्य के 2 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि जरिये नगद, बैंकर्स चैक या मांगदेय ड्रॉफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी अधिकरण के नाम जमा करानी होगी। क्रय समिति को निगोशिएशन करने का अधिकार होगा। उक्त आईटम्स की आपूर्ति मय इन्स्टॉलेशन आदेश की तिथि से करार कर 15 दिवस की अवधि में करनी होगी अन्यथा नियमानुसार प्रतिभूति राशि जब्त कर आपूर्ति आदेश निरस्त किया जायेगा। आदेश की पालना में कार्यसम्पादन प्रतिभूति आपूर्ति वस्तु के मूल्य के 5 प्रतिशत जरिये बैंक ड्रॉफ्ट या बैंकर्स चैक, राष्ट्रीय बचत पत्र, अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी अधिकरण के नाम प्रस्तुत करनी होगी।

Sd-
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मेड़ता।

क्रमांक :– 772

दिनांकः– 5/10/19

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, व्यापार संघ, मेड़ता।
2. कार्यालय/न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता को नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता में चस्पा करने व ई–पॉर्टल पर लोड करने हेतु।
4. गांधी चौक, मेड़तासिटी में चस्पा हेतु।
5. चारभुजा चौक, मेड़तासिटी में चस्पा हेतु।
6. अधिकृत फर्म/डीलर श्री...

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मेड़ता।

Scanned by CamScanner